उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-30/2021/886/30-3-21-02बी/2015

लखनऊ, दिनॉक 12 मार्च, 2021

संशोधन/शुद्धि-पत्र

संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ के सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में शाासनादेश संख्या-12/2021/46/30-3-21-02बी/2015, दिनांक 08-02-2021 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-2 की छठी पंक्ति में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आगणन रू0 809.17 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित की गयी धनराशि रू0 796.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति का उल्लेख नहीं हो पाया है तथा प्रस्तर-4 की दूसरी पंक्ति में दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के स्थान पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अत: शाासनादेश दिनांक 08-02-2021 के प्रस्तर-2 की छठी पंक्ति में प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आगणन रू0 809.17 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित की गयी धनराशि रू0 796.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रस्तर-4 की दूसरी पंक्ति में दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के स्थान पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 अंकित किया जाता है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 08-02-2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-30/2021/886(1)/30-3-2021, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ (यू0पी0 सिडको)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in